न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 531 सन 2018
अनवान :–

1. सुरेन्द्र सिह पुत्र बनेसिह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 13 नोहर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. प्रेमसिह 2 जवानसिह पि0 बनेसिह जाति राजपुत निवासी वार्ड न0 13 नोहर तहसील नोहर ।
3. निर्मलकवर 4 कृष्णादेवी 5 सोहना पुत्रीया बनेसिह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 13 नोहर तहसील नोहर ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 12.11.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 239/220 के 31/416(304) के किला न0 1/0.228 ,/0.228 , 3/0.228 , 4/0.228 , 5/0.228, 6 ता 12 की 1.771हैक कुल 2.9110हैक भूमि स्थित है जिसके बन्नेसिह पुत्र हरिसिह खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 64/49 के प0न0 301/429(33) के किला न0 9/0.2020 ,12/.253 ,19/0.253 ,21/1 की 0.215 ,22/0.253 ,प0न0 305/431(61) किला न0 3 ता 8/प्रत्येक 0.253हैक किला न0 13 ता 18 प्रत्येक 0.253 , 23 ता 25/0.253 , प0न0 306/431(62) के किला न0 19 ता 23/1.265हैक प0न0 306/432(69) के किला न0 1 ,2 व 9 ता 12/0.253 प0न0 305/432(70) किला न.0 3 ता 8/0.253 कुल 9.2720हैक जिसके बन्नेसिह पुत्र हरिसिह खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/141 की कुल 8.8804हैक भूमि सयूक्त तौर से 16 हिस्से खातेदार काश्तकार है रोही मौजा का 2 बीकेकें के खाता संख्या 128/116 के प0न0 306/431(62) के किला न0 1/0.253 ,10/0.253 ,11/0.253 हैक कुल 1.5180हैक जिसके समुन्दसिह प्रेमसिह पि0 बन्नेसिह खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 29/24 के प0न0 306/430(47) के किला न0 19 ता 21/0.759 , प0न0 305/430(48) के किला न0 16 ता 18 ,23 ता 25/.5180हैक कुल 2.2770हैक भूमि जिसके जवानसिह पुत्र बन्नेसिह खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता बन्नेसिह पुत्र हरिसिह का दिनांक 21.07.218 को फोत हो चुके है जिसके विधिक उतराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहिने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनों वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसका आपस में बाहमी बटवारा किया जा चुका है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उनके पिता बन्नेसिह पुत्र हरिसिह को देहान्त हो गया है जिसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो वाद भूमि के विधिक खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जिसके सम्बध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने राजीनामा /ईकबालदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी का सुना ।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो वादी भूमि के विधिक हकदार है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमति एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 239/220 के प0न0 310/416(304) के किला न0 1/0.228 ,2/. 228 ,3/0.228 ,4/0.228 ,5/.228 ,6 ता 12 की 1.771हैक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के पास रहेगी –रास्ता यथावत रहेगा। रोही मोजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 177/141 की कुल 8.8804हैक मे से 16 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पास बहिब रहेगी। रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 64/49 के प0न0 301/429(33) के किला न0 9/0.2020 ,12/0.253 ,19/0.253 ,21/2 की 0.2150 ,22/. 253 ,कुल 1.1760हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब रहेगी एवं प0न0 305/431(61) के किला न0 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 की कुल 1.518हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहेगी एवं प0न0 305/431(61) के किला न0 13 ता 18 व 23 ता 25 कुल 2.277हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी एवं प0न0 306/431(62) के किला न0 19 ता 23 की कुल 1.265हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी एवं वादी के पास प0न0 306/432(69) के किला न0 1 ,2 ,9 ता 12 की 1.518हैक एवं प0न0 305/432(70) के किला न0 3 ता 8 की 1.518हैक भूमि रहेगी।

रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 128/116 के प0न0 306/431(62) के किला न0 1/0.253 ,10/0.253 , कुल 0.506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जवानसिह के पास रहेगी एवं प0न0 306/431(62) के किला न0 11/0.253 हैक प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी प0न0 305/432(70) के किला न0 13 ता 15 की 0.759हैक भूमि वादी के पास रहेगी।

। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official